

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, तारानगर (चूरु)

पीठासीन अधिकारी श्री सन्दीप चौधरी (आर.ए.एस.)

मु.न.- 03/2024

राजकुमारी सहारण पत्नी पृथ्वीसिंह सहारण जाति जाट निवासी गाजुवास तहसील तारानगर जिला चूरु।

- प्रार्थनी -

वनाम  
राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार (राजस्व) तारानगर।

- अप्रार्थी -

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवन्यू एक्ट व धारा 88 आर.टी.एक्ट.

निर्णय

दिनांक 09/01/24

प्रार्थनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना मय शपथ पत्र में संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थनी के नाम कृषि भूमि रोही मौजा गडाना तहसील तारानगर के खसरा सं. 294 तादादी 0.7334 हेक्ट., खसरा सं. 45/206 तादादी 3.7682 हेक्ट. कुल तादादी 4.5016 हेक्ट. हैं। जिसमें प्रार्थनी का नाम राजबाला अंकित है। जो गलत है, जबकि प्रार्थनी का नाम राजकुमारी सही है। प्रार्थनी के आधार कार्ड, मूल निवास पत्र, आधारकार्ड तथा अन्य दस्तावेजों में प्रार्थनी का नाम राजकुमारी है। नाम में भिन्नता होने के कारण जमाबन्दी में अपना नाम दुरुस्त करवाना चाहती है। जमाबन्दी में अपना नाम दुरुस्त करवाने के लिए प्रार्थनी ने तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया था। परन्तु तहसीलदार ने बिना किसी न्यायालय आदेश के नाम दुरुस्त करने से इंकार कर दिया। इसलिए श्रीमानजी के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रहा अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कृषि भूमि रोही मौजा गडाना तहसील तारानगर के खसरा सं. 294 तादादी 0.7334 हेक्ट., खसरा सं. 445/206 तादादी 3.7682 हेक्ट. कुल तादादी 4.5016 हेक्ट. में प्रार्थनी नाम राजकुमारी किये जाने का आदेश प्रदान करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र में आई रिपोर्ट भू.अ.नि. बुचावास के अनुसार प्रार्थनी राजकुमारी राजस्व रिकार्ड में दुरुस्त करवाना चाहती है। अब प्रार्थनी अपना आधार कार्ड, राशन कार्ड व अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थनी राजबाला के स्थान पर राजकुमारी करवाना चाहती है। दिनांक तक राजस्व रिकार्ड में प्रार्थनी राजबाला दर्ज है। अतः प्रार्थनी राजबाला के स्थान पर राजकुमारी दुरुस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाना उचित होगा।

पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि भू.अ.नि. बुचावास की रिपोर्ट के आधार पर एवं प्रार्थनी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर प्रार्थना पत्र कृषि भूमि रोही मौजा गडाना तहसील तारानगर के खसरा सं. 294 तादादी 0.7334 हेक्ट., खसरा सं. 445/206 तादादी 3.7682 हेक्ट. कुल तादादी 4.5016 हेक्ट. के राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रविष्टि राजबाला Delete कर इसके स्थान पर राजकुमारी दुरुस्त किया जाकर आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय की प्रति तहसीलदार तारानगर को राजस्व रिकार्ड में प्रामद हेतु भिजवाई जावे। इस विचार न्यायालय का यह निर्णय अपीलीय निर्णय है। पत्रावली फैंसल होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/01/2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।



*(सन्दीप चौधरी आर.ए.एस.)*

पीठासीन अधिकारी एवं  
उपखण्ड अधिकारी तारानगर (चूरु)